



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal-4620 16

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Tel: 0755-2466970, 2466859

Fax : 0755-2462136

No: 2828 / SEIAA/2022

Date: 13/11/22

प्रति,

मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि.

305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट,

हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)–500016


विषय: प्रकरण क्र. 646/2011 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)–500016 द्वारा बंदरखा चूना पत्थर खदान, एरिया 40.236 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम –बंदरखा, तहसील – रामपुर बघेलान, जिला –सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि. 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)–500016 के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 695वीं बैठक दिनांक 09.12.2021 द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के बाद प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.08.2020 के निर्णयानुसार भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान (वर्ष 2020–21 से वर्ष 2024–25) दिनांक 18.11.2021 को प्रस्तुत किया गया है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में नियमित रूप से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जमा किया जा रहा है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है कि, परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गई सत्यापित अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति कार्यालय में प्राप्त होने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाय

उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, प्रकरण में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गई सत्यापित अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति कार्यालय में प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।



(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 2829 /SEIAA/2022

दिनांक – 13/11/22

प्रतिलिपि :-

खनि अधिकारी जिला – सतना, की ओर कृपया सूचनार्थ।


प्रभारी अधिकारी